अशासकीय पत्र संख्या–1/शा0/50/2020–1/415/2020
लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2021

प्रथम आवंटन (कांजी हाउस)
अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–4515001010010–24,

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–20/2021/630/33–3–2021–100(16)/2018 दिनांक 10.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 में पूंजीगत मद के अन्तर्गत जिला पंचायतों में कांजी हाउसों में गोवंश संरक्षण/निराश्रित पशु संरक्षण हेतु अवस्थापना पर आने वाले व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि **रू0–287.02 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तासी लाख दो हजार मात्र)** की धनराशि उक्त शासनादेश दिनांक 10.03.2021 में निहित निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है–

1– प्रश्नगत वित्तीय आवंटन निर्गत करने के पूर्व निदेशक, पंचायतराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कांजी हाउसों हेतु निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।
2– पूर्व से निर्मित कांजी हाउसों की मरम्मत तथा नये कांजी हाउसों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग के अद्यतन एस.ओ.आर. के आधार पर आंगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाये।
3– प्रश्नगत कांजी हाउसों के संचालन/निर्माण हेतु जो कार्य प्रश्नगत योजना की प्रावधानित धनराशि से कराये जायेंगे उन कार्यों हेतु अन्य किसी योजना से शासकीय धनराशि प्राप्त नहीं की जायेगी।
4– प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानित अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5– निर्माण एवं व्यय के दौरान सम्बन्धित वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि के आहरण/व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित गाइड लाईन/दिशा–निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
6– उक्त आवंटित धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिन मदों के लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है।
7– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
8– योजनान्तर्गत धनराशि के व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत किसी अन्य मद/योजना से धनराशि व्यय न हो ताकि योजनान्तर्गत आवंटित की जा रही धनराशि की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
9–प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों का निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10–आवंटित की जा रही धनराशि आहरण के उपरान्त किसी ऐसे बैंक खाते में रखा जाता है, जहां से ब्याज अर्जित होता हो उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
11–धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी जब इसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।
12–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
13–आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
14–धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा–निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी होगा।
15–आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
16–उक्त के अतिरिक्त विषयक योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य अपेक्षित शर्तों का समावेश किया जायेगा।

17–उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायतीराज–10–जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निमाण/स्थापना एवं संचालन–24–वृहत निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–91 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/50/1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.03.2021 के क्रम में।,
2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4. संयुक्त सचिव वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
8. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
9. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
10. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लोहिया भवन, लखनऊ।
11. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
12. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, संतकबीरनगर, बलरामपुर तथा कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।